न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/43/18	28–03–2018	17–07–2018

01. दीपक कुमार पुत्र जीवत राम उचित मूल्य दूकानदार 1/2 भाग, ग्राम पंचायत मूसाखेडा हाल ग्राम पंचायत मोठूका तहसील किशनगढ बास जिला अलवर **अपीलान्ट**

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 26–02–2018 प्रकरण संख्या 22/2017 एवं 44/2017 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या– 1492/2012

उपस्थितः–

01. श्री श्योरामसिंह नरूका –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार –रेस्पौडेण्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 26–02–2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं0–1492/2012 निलम्बित करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट का दिनांक 19.12.17 को फिसटूला का ऑपरेशन मोनिलेक हॉस्पिटल जयपुर में हुआ था तथा हॉस्पिटल में भर्ती रहा था। अपीलान्ट दिनांक 28.12.17 को डॉक्टर की सलाह अनुसार स्वयं को दिखाने के लिए जयपुर गया व दिनांक 28.12.17 को अपीलान्ट की विभिन्न जांचे हुई थी और दिनांक 29.12.17 को प्राप्त होनी थी, रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु दिनांक 29.12.17 हॉस्पिटल में मौजूद रहा। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 28.12.17 व 29.12.17 को ईलाज हेतु जयपुर जाने बाबत सूचना उचित मूल्य दुकान के सूचना पट्ट पर उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इस बाबत दर्ज कि गयी थी। जिस कारण अपीलान्ट की उचित मूल्य की दुकान बंद थी। प्रवर्तन निरीक्षण द्वारा सूचना पट्ट पर दर्ज सूचना बाबत को ध्यान नहीं दिया गया के बावजूद प्रवर्तन निरीक्षण द्वारा झूठा प्रकरण बनाने की नियत से कार्यवाही करते हुए मानमानें तथ्यों पर जांच रिपोर्ट एकतरफा में तैयार की गई जिस जांच रिपोर्ट पर अपीलान्ट के कोई हस्ताक्षर नही है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 29.12.17 में दर्ज किया है कि उचित मूल्य दूकानदार श्री दीपक निलम्बित किया जा चुका है इस कारण उसके स्टॉक एवं अन्य दस्तावेजों की जांच नही हो पायी है। डीलर की मशीन संख्या 28677 है जिस पर दूसरा डीलर श्री बलविन्द्र सिंह द्वारा वितरण किया जा रहा है। इस तथ्य से यह बखूबी जाहिर है कि अपीलान्ट के विरूद्व जो आलोच्च जांच रिपोर्ट तैयार की गई है वह मनमाने रूप में कयासिया आधारों पर झूठा प्रकरण बनाने की नियत से तैयार की गई है। जांच रिपोर्ट सरपंच ग्राम पंचायत मोठूका एवं पंचायत समिति सदस्य एवं उनके पति के दबाव में आकर तैयार की गई है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

अपीलान्ट द्वारा समस्त उपभोक्ताओं को नियमानुसार सही रेट पर सही समय पर उचित मूल्य सामग्री का वितरण किया गया है। जिला रसद अधिकारी अलवर के कार्यालय से कारण बतओ नोटिस दिनांक 11.1.18 का दिया गया जिसका अपीलान्ट द्वारा जबाब दिनांक 21.2.18 को प्रस्तुत कर दिया गया था। जिला रसद अधिकारी अलवर के यहॉ जो कार्यवाही अपीलान्ट के विरूद्व की गई है वह सरपंच ग्राम पंचायत मोठूका एवं पंचायत समिति सदस्य एवं उनके पति द्वारा अकारण/बेवजह उपभोक्ताओं से शिकायत कराते है। अपीलान्ट उचित मूल्य दुकान का संचालन नही कर सकें, उसके स्थान पर अपने निजी व्यक्ति को डीलर बनाने की मंशा रखते है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा तैयार की गई एकपक्षीय जांच रिपोर्ट में गवाहों के बयान साईक्लोस्टाईल प्रिन्टड प्रर्फोमा पर दर्ज किये गये है जो विश्वास योग्य नहीं है। अपीलान्ट के द्वारा उचित मूल्य राशन सामग्री वितरण से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है और उपभोक्ता अपीलान्ट के कार्य एवं व्यवहार से पूर्ण रूप से संतुष्ट रहें है। अपीलीय आदेश में जो तथ्य दर्ज किये वो गंभीर प्रवृति के नही थे, केवल प्रकरण बनाने के लिए अपीलान्ट का लाईसेंस निलम्बित करने के लिए ही लगाये गये थे, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नही है। अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित होने से परिवार का पालन पोषण नही हो रहा है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलांट को जो नोटिस दिया उसका जवाब पेश कर दिया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का फैसला विधि विरूद्व तरीके से मनमर्जी एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है और न ही किसी प्रकार का गबन किया गया है। अपीलांट द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अपील अन्दर मियाद पेश की गई है, अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें, एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें। अपने कथन की पुष्टी में शिकायतकर्ता के शपथ–पत्र पेंश किये गये। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में आर एल डब्लू 2003 (4) एस.सी. पेंज 509 नजीर पेंश की गई।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आदेश 1976 की धारा 8 के तहत बिना सुनवाई के प्राधिकृत अधिकार पत्र निलम्बित किया जा सकता है। समस्त कार्यवाही की जानकारी अपीलान्ट को है। माननीय खाघ मंत्री महोदय राजस्थान सरकार की किशनगढबास में आयोजित जनसुनवाई के दौरान उपभोक्ताओं के द्वारा उचित मूल्य दुकानदार मोठूका के विरूद्व राशन सामग्री नही देने एवं उनसे अभद्र व्यवहार करने बाबत शिकायत की गई थी। प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच कर सही रिपोर्ट पेश की है। उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। दौराने जांच स्थिति सही नही मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है और ना ही अपीलार्थी कार्यालय में भी उपस्थित हुआ। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट के अपील अन्दर मियाद में पेश की है। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया है तथा अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप गंभीर प्रवृति के नहीं है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा एकपक्षीय जांच रिपोर्ट पेश की है। अपीलान्ट के द्वारा उचित मूल्य राशन सामग्री वितरण से किसी प्रकार की कोई शिकायत नही है। जिला रसद अधिकारी अलवर के यहॉ पेश जांच में जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये थे, उन व्यक्तियों/उपभोक्ताओं द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये है। अपीलान्ट द्वारा उठाये गये तर्क के सम्बन्ध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट के द्वारा राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 17 (सी) एवं 18 का उल्लंधन पाये जाने के कारण प्राधिकार पत्र निरस्त किया है एवं प्रतिभूति राशि जब्त की है। अपीलान्ट का यह तर्क कि उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलीय निर्णय पारित किया है, वह निराधार प्रतीत होता है क्योंकि तहत अदालत की पत्रावली की आदेशिका से जाहिर है कि अपीलान्ट को नोटिस जारी करने के पश्चात् अपीलान्ट तहत अदालत में उपस्थित हुआ जिससे यह नही माना जा सकता कि तहत अदालत ने अपीलान्ट को कोई सुनवाई का मौका नही दिया हों। अपीलान्ट पर गंभीर आरोप है कि उसके द्वारा उपभोक्ताओं के राशन कार्डो पर आनलाईन ट्रान्जेशन किसे जाने के बावजूद भी राशन वितरण का इन्द्राज कुल 10 राशन कार्डो पर किया जाकर 1045 किलोग्राम गेहूँ 31 किलोग्राम चीनी एवं 241 लीटर केरोसनी का गबन किया गया है, उपभोक्ताओं के राशन कार्डो पर आनलाईन ट्रान्जेशन किये जाने के बावजूद भी उनके राशन कार्डो में राशन सामग्री वितरण का इन्द्राज नहीं किया जाता और ना ही वास्तव में राशन सामग्री वितरण की जाती है। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत दृटान्त में ऐसा नही है कि अपीलान्ट को जांच के दौरान उपस्थित नही मिलना, और न ही जांच हेतु रिकार्ड उपलब्ध कराना, उपभोक्ताओं के राशन कार्डो में अनियमितता करना में किसी न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दूओं पर कोई सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया हों। अपीलान्ट इस तथ्य को साबित करने में असमर्थ रहा है। हम तहत अदालत के द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझतें है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

जिला रसद अधिकारी अलवर को निर्णय दिनांक 26–02–2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत अदालत वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 17–07–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)